FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0046 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 10/12/2025 16:56 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/12/2025 **Time (समय):** 16:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 021 **Date and Time (दिनांक और समय):** 10/12/2025 16:09 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 70 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** जिला रेवाडी,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

POLICE STATION S. V. & A.C.B. (H) GURUGRAM RANGE GURUGRAM

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ओमप्रकाश

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** स्व० श्री दीपचन्द

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1957 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

Scanned with OKEN Scanner

(e) UID No. (यूआईडी सं.): Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	नई कालोनी पटौदी जिला गुरूग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	नई कालोनी पटौदी जिला गुरूग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9996965040

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विनोद कुमार तत्कालीन पटवारी			1. हल्का चिल्हड,जिला रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

POLICE STATION S. V. & A.C.B (H) GURUGRAM RANGE GURUGRAM

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक महोदय, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम। विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि शिकायतकर्ता ओमप्रकाश पुत्र स्व० श्री दीपचन्द निवासी नई कालोनी पटौदी जिला गुरूग्राम द्वारा एक शिकायत श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय में अनिल यादव की ई मेल yadavtypepataudi@gmail.com के माध्यम से

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 20.08.2025 को भिजवाई गई थी। उक्त शिकायत श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय पत्र क्रमांक 18898/शिकायत/500/गुरुग्राम /2025/रा० चौ० एवं भ० नि० ब्यू० (ह) दिनांक 19.09.2025 व पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो. गुरुग्राम कार्यालय की शिकायत शाखा की शिकायत नम्बर 35/रेवाडी दिनाक 27.08.2025 अनुसार मन निरीक्षक को प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त शिकायत में शिकायतकर्ता औमप्रकाश पुत्र स्व० श्री दीपचन्द निवासी नई कालोनी, पटौदी जिला गुरूग्राम ने विनोद कुमार तत्कालीन पटवारी हल्का चिल्हड जिला रेवाडी पर आरोप लगाये है कि उसने मौजा चिल्हड जिला रेवाडी की सीमा क्षेत्र में वसीका नम्बर 2621 दिनांक 30.06.2023 के अनुसार कुल 39 कनाल 16 मरला का 1/2 भाग बकदर 19 कनाल 18 मरला जमीन अपनी पत्नी श्रीमति धनपति व उसके भाई की पत्नी पूनम के नाम से खरीद की थी। मनोज वासी वार्ड नं0 2 न्यू कलोनी पटौदी द्वारा इसका 1/2 भाग खरीदा गया था। उक्त जमीन का विभाजन इंतकाल कराने के लिये शिकायतकर्ता व मनोज द्वारा दिनांक 13.06.2024 को आवेदन किया गया था। उस समय विनोद कुमार पटवारी के पास गांव चिल्हड का अतिरिक्त कार्यभार था। जब शिकायतकर्ता अपनी जमीन का विभाजन इंतकाल कराने के लिये विनोद पटवारी से मिला, तो विनोद पटवारी ने उसकी जमीन का विभाजन इंतकाल करने लिये 20,000 रू रिश्वत की मांग की और दिनांक 20.08.2025 को विनोद पटवारी ने शिकायतकर्ता को फोन करके उसको धमकाया और रिश्वत के पैसे देने के लिये दबाव दिया।

मन निरीक्षक द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता ओमप्रकाश पुत्र स्व० श्री दीपचन्द निवासी नई कालोनी पटौदी जिला गुरूग्राम मो0 न0 9996965040 के कथन अंकित किये गये, जिसने अपने कथन में अंकित कराया कि वह और मनोज अपनी जमीन का विभाजन इंतकाल कराने के लिये विनोद पटवारी से मिले थे तो विनोद पटवारी ने उसको कहा कि में जमीन का इतकाल करने के अन्य लोगो से तो ज्यादा फीस लेता हूँ लेकिन तुम मेरे घर के आदमी हो, तुम कम फीस दे देना। उसके बाद शिकायतकर्ता ने विनोद पटवारी से अपनी जमीन का इंतकाल कराने के लिये कहा तो विनोद कुमार पटवारी ने शिकायतकर्ता को बतलाया कि उसका तबादला हो गया है। लेकिन फिर भी यह उसका काम करा देगा।

विनोद पटवारी ने दिनाक 17.07.2025 को शिकायतकर्ता के फोन पर फोन करके कहा कि मैंने आपका काम करा दिया है। मैं आपकी जमीन का इंतकाल लेकर तुम्हारे घर ही आ जाउंगा, तुम मेरी फीस के 20,000 रु० तैयार रखना। उसके बाद विनोद कुमार पटवारी ने कई बार शिकायतकर्ता के फोन पर फोन किया। लेकिन शिकायकर्ता ने उसका फोन नहीं उठाया, क्योकि शिकायतकर्ता इस पटवारी को रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता था।

दिनांक 22.07.2025 को विनोद पटवारी स्वयं ही शिकायतकर्ता की जमीन की नकल लेकर शिकायतकर्ता के घर आ गया और रिश्वत के 20.000 रू मांगने लगा और दबाव देने लगा कि तुम मेरे पैसे दे दो मैने तुम्हारा काम कराया है। जिस पर शिकायतकर्ता ने दबाव में आकर विनोद पटवारी को 10:000 रू० दिये तो विनोद पटवारी ने उसके पैसे वापिस फैक दिये और कहा मैं पार्ट पैमेन्ट नही लुंगा और झगडा करके उसकी जमीन की नकल लेकर चला गया। उसके बाद दिनांक 20.08.2025 को फिर से विनोद पटवारी ने शिकायतकर्ता के मोबाईल फोन पर फोन करके कहा कि तुमने पैसे देने है या नहीं। मैने तुम्हारा काम करा दिया और शिकायतकर्ता को भला बुरा कहा। जिसकी रिकॉर्डिंग शिकायतकर्ता द्वारा उसके मोबाईल फोन में कर ली गई थी। मन निरीक्षक द्वारा रिकॉर्डिंग की ट्रांस्किप्ट तैयार कराई गई, रिकॉर्डिंग में मौजुद रिश्वत के लेन देन की वार्तालाप का मुख्य भाग इस प्रकार से है।

विनोद पटवारी - कि देना है या नहीं देने हैं।

शिकायतकर्ता औमप्रकाश - आपको 10,000 रु० दे रहा था तो भी आपने जो है ना नहीं लिये।

विनोद पटवारी - कोई बात ना आप सिर्फ यस या नौ, दो ही चीजे तो पुछनी है मैने।

विनोद पटवारी - है पैसे आपके पास है पैसे।

औमप्रकाश - ना आज तो नहीं है।

विनोद पटवारी - हां तो फेर मैं नु ही तो कह रा हूँ मतलब कागज दयां तो पैसे है भी के नहीं आपके पास वैसे ही।

ओमप्रकाश - फिर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर रहने दो जो है ना।

विनोद पटवारी - फेर मतलब ये पैसे छोड दु ये पैसे।

POLICE STATION S. V. & A.C.B (H) GURUGRAM RANGE GURUGRAM

Scanned with OKEN Scanner

ओमप्रकाश - नहीं जब आपको विश्वास ही नहीं है।
विनोद पटवारी - अर विश्वास तो आप दो सीधी सी बात है आप कागज लेलो पैसे दे दो, पैसे है तो लाओ मै देउ कागज फेर।
औमप्रकाश - मेरे कागज दो और जाओ आप जो है ना।
विनोद पटवारी - सुनो मेरी बात, सुनो सुनो भाई साहब, आप क्यु दे दो मुझे बाद में आपको आपने मुझे बताया कि भाई साहब मैं दे दूंगा पार्ट पेमेन्ट करूंगा तो नहीं आता भई जब इकटठी होती तो में आ जाता आपने मुझे बताया फोन पर कि में पार्ट पैमेन्ट करूंगा।
विनोद पटवारी - ना व्यवहार की बात क्या है मतलब मैं काम करने के बाद आपकी मुंह की तरफ ताकता रहू फेर आप 8 न फेर कहोगे भाई साहब 1000 रू बन गया 2000 रू बन गया। इंसानियत है ये क्यू काम करवाया जब आपके पास पैसे नहीं है तो फेर काम ही नहीं करवाना था।

मन निरीक्षक द्वारा शिकायत के अवलोकन, प्राप्त शुदा रिकार्ड से, शिकायत के साथ सी०डी० व शिकायतकर्ता के कथन से पाया गया कि विनोद पटवारी के पास दिनांक 14.06.2023 से गांव चिल्हड का अतिरिक्त कार्यभार था। दिनांक 13.06.2024 को शिकायकर्ता ओमप्रकाश उपरोक्त विनोद पटवारी के पास अपनी जमीन का विभाजन इतकाल कराने के लिये गया था। क्योकि विनोद पटवारी शिकायतकर्ता को पहले से जानता था इसलिये बिना किसी झिझक के उससे 20,000 रू० रिश्वत की मांग की है। उसके बाद विनोद पटवारी का तबादला दिनांक 11.12.2024 को हल्का ढोहकी, अतिरिक्त कार्यभार गांव चिल्हड से कन्होरी हो गया। लेकिन फिर भी उसने शिकायतकर्ता को फोन करके कहा है कि उसका तबादला हो गया है। लेकिन फिर भी वह उसका काम करा देगा। जिसके बाद दिनांक 15.07.2025 को शिकायतकर्ता की जमीन का इंतकाल होने के उपरांत इंतकाल की नकल लेकर दिनांक 22.07.2025 को शिकायतकर्ता के घर नई कॉलोनी, पटौदी पर जाता है और शिकायतकर्ता पर रिश्वत के 20,000 रू० देने का दबाव देता है। शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत के कम पैसे देने पर शिकायतकर्ता को धमकी देता है और शिकायतकर्ता की जमीन का इंतकाल की नकल दिये बिना ही वंहा से चला जाता है। इसके बाद भी विनोद पटवारी दिनाक 20.08.2025 को भी शिकायतकर्ता को फोन पर पैसे की मांग करता है और उसको धमकाता है। जिससे पता लगता है कि विनोद पटवारी एक भ्रष्ट प्रवृति का व्यक्ति है, और उसकी मंशा को दर्शाता है। आरोपी विनोद कुमार पटवारी का यह कृत्य Ex- Facie Criminal Nature का है। इसलिये मुख्य सचिव हरियाणा सरकार कार्यालय के पत्र कमांक 4/2/2021-1 VII दिनाक 25.07.2022 अनुसार 17 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मन निरीक्षक द्वारा विनोद कुमार तत्कालीन पटवारी हल्का चिल्हड, जिला रेवाडी के विरूध जेर धारा 7, 7ए पी०सी० एक्ट व 308 (2) बी०एन०एस० के अन्तंगत अभियोग अंकित करने की सस्तुति करके पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरूग्राम मण्डल गुरुग्राम कार्यालय के पत्र कमाक 5829/रा०स० एवं० भ्र0 नि० ब्यू० दिनांक 16.10.25 के अनुसार राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला कार्यालय में भिजवाई गई थी। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय पत्र कमांक 22970/ शिकायत संख्या/500/गुरुग्राम/2025 दिनांक 19.11.2025 अनुसार उक्त मामले में ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके वैटिंग और अनुमोदन हेतु भिजवाने बारे निर्देश प्राप्त हुये थे। जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरुग्राम कार्यालय के पत्र क्रमांक 6775-76/रा०स० एवं भ्र०नि०ब्यू०, गुरूग्राम दिनांक 28.11.2025 अनुसार ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके वैटिंग और अनुमोदन हेतु महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला के भिजवाई गई है। जिस पर महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र कमांक 24217/शिकायत/500/गुरूग्राम/2025 दिनांक 08.12.2025 अनुसार तहरीर अनुमोदित होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरुग्राम में प्राप्त हुई है। जो पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरुग्राम से मन निरीक्षक को मार्क होकर प्राप्त हुई है। आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम हूँ कि विनोद कुमार, तत्कालीन पटवारी हल्का चिल्हड, जिला रेवाडी के विरूध जेर धारा 7, 7ए पी०सी० एक्ट व 308 (2) बी०एन०एस० के अन्तंगत तहरीर तैयार करके अभियोग अंकित करने के लिये स०उप०नि० राजीव कुमार नं0 2771 गुरूग्राम के माध्यम से थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरुग्राम में भेजी जा रही है। अभियोग अंकित किया जाकर अभियोग संख्या से सूचित किया जाये तथा मिशल मुकदमा व असल तहरीर मय सी0डी0 आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक वेदप्रकाश, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H) GURUGRAM RANGE GURUGRAM

Scanned with OKEN Scanner

उपकेन्द्र रेवाडी के पास भिजवाई जाये। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाये । Rajesh निरीक्षक, राजेश कुमार रा०स० एवं० भ्र०नि०ब्यू०. गुरुग्राम । दिनांक 10.12.2025 समय - 3.55 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले ASI राजीव कुमार न0 2771/गुरुग्राम के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक वेदप्रकाश के पास भेजी जा रही है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ved parkash Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1641 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~Jaipal~~ Devender

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94 16|44m

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

POLICE STATIONS V. & A.C.B.(H) GURUGRAM RANGE GURUGRAM

Error: Subreport could not be shown.

Scanned with OKEN Scanner